न्याय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी — अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस0

मूल प्रार्थना पत्र संख्या– 02/2019 (पुराना) तथा 62/2022 इस न्यायालय का

सुधाधर बनाम फूलचन्द वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दिवानी

निर्णय

दिनांकः–30.06.2023

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र 07आर13 पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील के संबंध में आदेश 5 में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील प्रतिस्थापित तामील (अखबार साया) के जरिये करवाये जाने पर 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होता, जबकि न्यायालय द्वारा दिनांकों में हेरा फेरी कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद का अन्तिम निस्तारण कर दिया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी तो उनकी तामील किस आधार पर मानी गई। दिनांक 17.05.2018 को कैम्प कोर्ट जो0 सुन्दरियावास में वादीगण उपस्थित। आगामी दिनांक 30.05.2018 नियत की गई। दिनांक 18.05.2018 को वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील जरिये अखबार साया करवायी जावें। आगामी पेशी 25.05.2018 नियत की गई। 25.05.2018 को पत्रावली फॉलोअप कैम्प सांभर में पेश हुई। आगामी दिनांक 30.05.2018 नियत की गई। दिनांक 30.05.2018 को आदेशिका में स्पष्ट अंकन है कि दिनांक 24.05.2018 का दैनिक नवज्योति समाचार पत्र की प्रति पेश की गई। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया जो दिनांक 24.05.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। जिसे दिनांक 24.05.2018 से एक दिन पूर्व की संवाददाता को दिया गया होगा अर्थात उक्त समाचार जिसका

30/6/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रकाशन दिनांक 24.05.2018 को समचार पत्र में हो रहा है वह समाचार/विज्ञापन/नोटिस एक दिन पूर्व दिनांक 23.05.2018 को संवाददाता को दिया गया होगा तो दिनांक 23.05.2018 को ही आगामी तारीख पेशी 30.05.2018 नियत होना किस आधार पर प्रकाशित करवायी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वाद के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील के लिए न्यायालय द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के लिए जो सम्मन जारी किया गया, वह सम्मन दिनांक 18.05.2018 को पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है। उस सम्मन पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.05.2018 नियत है। जबकि आदेशिका पर 18.05.2018 से आगामी दिनांक 25.05.2018 एवं 25.05.2018 से आगामी पेशी 30.05.2018 नियत की गयी थी। ऐसी स्थिति में जारी किया गया सम्मन संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस दस्तावेज पेश किए गए जिनमें एडीजे कोर्ट संख्या 01 सांभरलेक के निर्णय दिनांक 13.12.2023 तथा वादी संख्या 2 शैतान सिंह का दिनांक 21.10.2015 का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायधीश संख्या 1 सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा गंगल्या उर्फ गंगाराम प्रतिवादी सं0 1 की अपने निर्णय दिनांक 13.02.2023 में सिविल मृत्यु होने की घोषणा की है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण में की गई। सभी कार्यवाहीयां विधि सम्मत एवं न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किए जाने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए कारण दर्शित किया जाना आवश्यक है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु वाद प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी। माननीय अपर जिला न्यायधीश संख्या 1 सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा दिवानी अपील संख्या 06/2015 में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2023 को मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 1 गंगल्या उर्फ गंगाराम की सिविल मृत्यु होना निर्णीत किया है। मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 2 शैतान सिंह पुत्र सालगा की मृत्यु भी वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुकी थी तो ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2

30/6/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपु

की तामील इस आधार पर मानी गयी। उपरोक्त सभी तथ्य संदेह उत्प करते है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सम्यक रूप से तामिल हुई हो।

उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर प्रकरण में प्रार्थीगण को सुना जान न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर दिनांक 30.06.2023 को खुले इजलास में सुनाया गया।

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

30/6/2023

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी, जयपु
जोबनेर

फर्द अहकाम

बनाम

ालय

या

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/5/23	पत्रावली पेश हुई वकुलाए फरिकैन उप. **प्रशासन गांवों के संग अभियान** 2023 **में आयोजित कैम्प कोर्ट ग्राम** ग्रो. सुन्दरियावास **मे उभय पक्ष वारान को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक** 29/5/23 **को पेश हो**	
	29/5/23	पत्रावली "प्रशासन गांवों संग अभियान 2023" के तहत कैम्प ग्रो. सुन्दरियावास पर पेश हुई । वादीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित / अनुपस्थित है । पत्रावली का निस्तारण आपसी सहमति व राजीनामें से संभव नहीं होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/6/23 को पेश हो । **शिविर प्रभारी**	
	30/6/23	पत्रावली पेश हुई वकुलाए फरिकैन उप. पत्रावली पूर्वादेश की पालना में दिनांक 19/7/23 को पेश हो।	
	19/7/23	पत्रावली पेश हुई पूर्वादेशानुसार दिनांक 21/7/23 को पेश हो।	
	21/7/23	पत्रावली पेश हुई मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 C.P.C. स्वीकार किया जाने से प्रकरण सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली के संबंध शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर संलग्न मूल प्रार्थना पत्र रहे ।	